ला.अपील 4/17 हरिराम/लिखमाराम

11.4.18 वकील की (अपीलार्थी) ओर से अपील (रिस्टोरेट) के समय शामिल इतमाम का निर्णय 26.7.2018 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

24.5.18 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार शिविर लोकार्थ पंचायत में पेश हुई। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश नहीं किया। पत्रावली दिनांक 26.7.18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता
(प्रभारी अधिकारी पं.स. मेड़ता)

26/7/18 वकुलय उप./पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर/अवकाश पर/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 30.7.18 को पेश हो। 30.7.18

रीडर, उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

30.7.2018 वकील अपीलार्थी/अपीलार्थी के अभाव में अनुपस्थित। अपीलार्थी/अपीलार्थी के अभाव में (अनुपस्थित) अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अपीलार्थी/अपीलार्थी की अपील अरसे पेशी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निस्तारण सुलह होकर अब पक्षा कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner